भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2023

क्रमांक– 215 /मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यघ) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण चतुर्थ) विनियम 2020 {आरजी–26(IV), वर्ष 2020}, (जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है) का संशोधन करने के लिये निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण चतुर्थ) विनियम 2020 में प्रथम संशोधन {आरजी–26(IV)(i), वर्ष 2023}"

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण चतुर्थ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020, {आरजी–26(IV)(i), वर्ष 2023}"** कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम इनके शासकीय "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन**

"मूल विनियमों के विनियम 2 "विस्तार तथा लागू की जाने की सीमा" के स्थान पर निम्नानुसार विनियम स्थापित किया जाए :

2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 सहपठित धारा 86 के अन्तर्गत किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के वितरण हेतु किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्त्रोतों को छोड़कर) उत्पादन टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे परन्तु ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु लागू नहीं होंगे जहां विद्युत–दर (टैरिफ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपनाया गया हो।

2.2 निम्न प्रकरणों के लिये विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत किया जाएगा :

एक. जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को राज्य शासन के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रणाधीन कम्पनी द्वारा एक चिन्हांकित विकासकता के रूप में किया गया हो।

दो. विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के विस्तार के प्रकरण में यदि उसे किसी दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से लाभार्थियों/हितग्राहियों को पूर्णतया या आंशिक तौर पर विद्युत आपूर्ति हेतु बंधित किया गया हो:

परन्तु यह कि निजी विकासकर्ता हेतु विस्तार को विद्यमान क्षमता के शतप्रतिशत से अनाधिक एक बारगी अभिवृद्धि तक सीमित होगी :

परन्तु यह और भी कि विद्यमान उत्पादन की साझी अधोसंरचना को विस्तारित क्षमता हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा विस्तारित क्षमता में नवीन प्रौद्योगिकी के लाभ का विस्तार विद्यमान क्षमता हेतु किया जाएगा।

तीन. राज्य शासन द्वारा अधिसूचित नीति के अधीन विकसित परियोजनाओं की अधिकतम 35 प्रतिशत स्थापित क्षमता को, यदि कोई हो, तथा जिस राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ बंधित किया गया हो।

चार. किसी जल विद्युत परियोजना के विकासक के पास उद्वहन संग्रहण संयन्त्र (Pump Storage Plants-PSP) को सम्मिलित करते हुए टैरिफ नीति, 2016 के अनुच्छेद 5.5 के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों (PPAs) के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत आयोग के माध्यम से विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण कराये जाने का विकल्प विद्यमान होगा।

पांच. 100 मेगावाट रूपांकन क्षमता से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकों बाबत जिन्हें टैरिफ नीति, 2016 अर्थात् दिनांक 28.01.2016 द्वारा जारी अधिसूचना से पूर्व कार्यस्थल आवंटन किये जा चुके हैं, के पास एक पारदर्शक प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा तथा मानदण्डों के पूर्व निर्धारित समुच्चय के आधार पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अधीन दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण कराये जाने का विकल्प विद्यमान होगा।

छः कोयला धोवन अस्वीकरणों (कोल वाशरी रिजेक्टस) का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन केन्द्र की विद्युत–दर (टैरिफ) जिन्हें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम द्वारा शासकीय कम्पनी तथा शासकीय कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी द्वारा विकसित किया गया है, का अवधारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु आगे यह कि शासकीय कम्पनी तथा शासकीय कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी के मध्य संयुक्त उपक्रम के प्रकरण में शासकीय कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी का शेयर धारण (होल्डिंग) प्रत्यक्ष रूप से या फिर उसकी किसी सहायक (Subsidiary) कम्पनी या संबद्ध

(associate) कम्पनी के माध्यम से प्रदत्त शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत से अधिक न होगा :

परन्तु आगे यह और कि ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की विद्युत–दर (टैरिफ) के ऊर्जा प्रभार घटक का अवधारण कोयला धोवन (कोलवाशरी) परियोजना की स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि कोयला अस्वीकरणों (rejects) का सकल उष्मीय मान (ग्रॉस कैलोरीफिक वेल्यु), विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा लाभार्थियों/हितग्राहियों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये मापन के अनुसार होगा ।

2.3 नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों (केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें विनियम 2.2(1) के अधीन सम्मिलित किया है) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) जिस हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 के पश्चात् लाभार्थियों/हितग्राहियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु निष्पादित किये गये हैं, की प्राप्ति पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी तथा इस विधि के अनुसार प्राप्त की गई विद्युत–दर को आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत अंगीकार कर लिया जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र/केन्द्रों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) जिस/जिन हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु करार/अनुबन्ध 05.01.2011 को या उससे पूर्व निष्पादित किया गया है/किये गये हैं तथा कथित उत्पादन केन्द्रों हेतु वित्तीय समापन (फायनेन्शियल क्लोजर) की प्राप्ति भी पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की जा सकी हो, की प्राप्ति भी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जा जाएगी तथा इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन अंगीकार (adopt) किया जाएगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 5.4 को विलोपित किया जाए।

4. मूल विनियमों के विनियम 5.6 को विलोपित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पॉडा, सचिव.

टीप : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–चार) विनियम, 2020 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2020 को किया गया।

Bhopal, the 23rd January 2023

No. 215/MPERC/2023: In exercise of powers conferred under Section 181(2) (zd) read with Section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) thereof and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2020, (Revision-IV), [(RG-26 (IV) of 2020]" (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF GENERATION TARIFF) (REVISION-IV) REGULATIONS, 2020 {ARG-26 (IV) (i) OF 2023}.

1. **Short Title and Commencement.**

1.1. These Regulations may be called the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Generation Tariff) (Revision-IV) Regulations, 2020 {ARG-26 (IV) (i) OF 2023} (First Amendment).**

1.2. These Regulations shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations.**

The Regulation 2.1 "Scope and extent of application" of the principal Regulations shall be substituted as under:

2.1 These Regulations shall apply in all cases of determination of tariff for a generating station or a unit thereof (other than generating stations based on renewable sources of energy) under Section 62 read with Section 86 of the Electricity Act, 2003 for supply of electricity to a Distribution Licensee, but shall not apply to generating stations whose tariff has been discovered through tariff based competitive bidding in accordance with

the guidelines issued by the Central Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Electricity Act, 2003.

2.2 Tariff for following cases shall be determined under Section 62 of the Electricity Act, 2003 under these Regulations: -

I. Where the generating station is developed by a company owned or controlled by the State Government as an identified developer.

II. In case of expansion of existing generating station, if tied up fully or partially for supplying power to the beneficiaries through a long term power purchase agreement:

Provided that for private developers, expansion would be restricted to one-time addition of not more than 100% of the existing capacity:

Provided further that the common infrastructure of existing generating station, shall be utilized for the expanded capacity and the benefit of new technology in the expanded capacity shall be extended to the existing capacity.

III. For a maximum of 35% installed capacity of Projects developed under the policy notified by the State Government, if any, and tied up with the Distribution Licensee of the State.

IV. The developer of a hydroelectric project, including Pumped Storage Plant (PSP), would have the option of getting the tariff determined by the Commission under Section 62 of the Electricity Act' 2003 for the power to be sold through long term Power Purchase Agreements (PPAs) subject to conditions specified under para 5.5 of the Tariff Policy, 2016.

V. The developers of hydro power projects of more than 100 MW design capacity for which sites have been awarded prior to the notification of tariff policy, 2016 i.e. 28.01.2016 by following a transparent process and on the basis of pre-determined set of criteria would also have the option of getting the tariff determined by the Commission for the power to be sold through long term PPA under Section 62 of the Electricity Act, 2003.

VI. Tariff of generating station using coal washery rejects and developed by State PSUs or Joint Venture between a Government Company and Company other than the Government Company shall be determined in accordance with these Regulations:

Provided that in case of Joint Venture between a Government Company and a Company other than Government Company, the shareholding of the company other than Government Company either directly or through any of its subsidiary company or associate company shall not exceed 26% of the paid up share capital:

Provided further that the energy charge component of the tariff of such generating station or unit thereof shall be determined based on the fixed cost and the

variable cost of the coal washery project:

Provided also that the Gross Calorific Value of coal rejects shall be as measured jointly by the generating company and the beneficiaries.

2.3 Tariff of all new generating stations [except those covered under Regulation 2.2 (I)] for which power purchase agreements have been executed for supply of electricity to the beneficiary after 05.01.2011, shall be discovered through transparent bidding process and tariff discovered in such manner shall be adopted by the Commission under Section 63 of the Electricity Act 2003;

Provided that the tariff of generating station(s) for which agreement(s) have been executed for supply of electricity to the beneficiaries on or before 05.01.2011 and the financial closure for the said generating station(s) has not been achieved by 31.03.2019 shall also be discovered through transparent bidding process and tariff shall be adopted by the Commission under Section 63 of the Electricity Act, 2003.

3. Regulation 5.4 of the principal Regulation shall be deleted.

4. Regulation 5.6 of the principal Regulations shall be deleted.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

Note: The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2020 were published in Gazette of Madhya Pradesh on 28th February' 2020